



प्रो. आनन्द पाटील
कुलसचिव (कार्यवाहक)
Prof. Anand Patil
Registrar (Acting)

दूरभाष/Phone : +91-7152-230902

क्रमांक: 003/2003/का.आ./02/2025/62
दिनांक : 27.02.2025

कार्यालयादेश

विषय : संविदा पर कार्यरत गैर-शैक्षणिक कर्मियों के लिए विशेषाधिकार प्राप्त अवकाश (Privileged Leave) सम्बन्धी निर्देश।

विश्वविद्यालय में संविदा के आधार पर कार्यरत गैर-शैक्षणिक कर्मियों के लिए विशेषाधिकार प्राप्त अवकाश (Privileged Leave) निम्नानुसार निर्धारित किया गया है :

1. अवकाश की गणना : विशेषाधिकार प्राप्त अवकाश की गणना 1.75 दिन प्रति माह के आधार पर की जाएगी।
2. अवधि के अनुसार अवकाश : 11 माह की अवधि के लिए कार्यरत गैर-शैक्षणिक कर्मियों को कुल उन्नीस (19) दिन विशेषाधिकार प्राप्त अवकाश देय होगा।

वहीं, 179 दिनों (छह माह) की अवधि के लिए कार्यरत गैर-शैक्षणिक कर्मियों को कुल दस (10) दिन विशेषाधिकार प्राप्त अवकाश देय होगा।

3. अवकाश स्वीकृति हेतु नियम : कोई भी गैर-शैक्षणिक कर्मी एक समय में अधिकतम पाँच (05) कार्य दिवसों के विशेषाधिकार प्राप्त अवकाश हेतु आवेदन कर सकता है।

अवकाश आवेदन की स्वीकृति सम्बन्धित नियन्त्रणाधिकारी के अनुमोदन पर निर्भर होगी।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत किया जाता है तथा तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।


(प्रो. आनन्द पाटील)

प्रति (ई-मेल द्वारा) :

समस्त अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष, केंद्र निदेशक, अकादमिक निदेशक एवं प्रभारी, क्षेत्रीय केंद्र।

प्रतिलिपि (ई-मेल द्वारा) :

1. कुलपति सचिवालय
2. सहायक कुलसचिव, स्थापना एवं प्रशासन विभाग
3. प्रभारी, लीला को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. संबंधित पत्रावली